

प्रेस नोट थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर दिनांक 13.03.2025

गैंगस्टर एक्ट से संबंधित 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी खजनी श्री के पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक थाना सिकरीगंज के नेतृत्व में मय पुलिस टाम द्वारा मु0अ0सं0 61/2025 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट एक्ट थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त अजय सिंह उर्फ डोलू सिंह पुत्र रमेश सिंह निवासी जटेपुर उत्तरी हडहवाफाटक थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों को विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी कर पैसा लेने के संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

अजय सिंह उर्फ डोलू सिंह पुत्र रमेश सिंह सा0 जटेपुर उत्तरी हडहवाफाटक थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 61/2025 धारा धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना सिकरीगंज गोरखपुर
2. मु0अ0सं0-212/2021 धारा 379,411,413 भा.द.सं.थाना गोरखनाथ गोरखपुर
3. मु0अ0सं0-214/2021 धारा 41,411,413 भा.द.सं.थाना गोरखनाथ गोरखपुर
4. मु0अ0सं0141/2023 धारा 420,468,471 भा.द.सं.थाना सिकरीगंज गोरखपुर
5. मु0अ0सं0 144/2023 धारा 420,468,471 भा.द.सं.थाना सिकरीगंज गोरखपुर

गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक कमलेश कुमार थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 अतुल राय थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 दीपक कुमार थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
4. का0 मिथिलेश यादव थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर